राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1111/2006/अलवर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, अलवर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स सुप्रीम सिलेण्डर्स लिमिटेड
इण्डस्ट्रीयल एरिया, भिवाड़ी, अलवर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अलकेश शर्मा
अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 25/05/2017

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा अतिरिक्त आयुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के द्वारा अपील संख्या 304/अतिआ(अपील)/सीएसटी/65/02–03 में पारित आदेश दिनांक 26.10.2005 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, अलवर (जिसे आगे **'सशक्त अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 9 सपठित राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) में अवधि 1999–2000 के लिये पारित आदेश दिनांक 18.03.2002 में आरोपित कर को अपास्त किया है एवं शेष राशि जो प्रत्यर्थी द्वारा जमा कराई गई, उसे प्रत्यर्थी को प्रतिदाय माना है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी एल.पी.जी. सिलेण्डर का निर्माणकर्ता व्यवसायी है, जिसके द्वारा पैट्रोलियम सिलेण्डर सरकारी उपक्रम इंडियन ऑयल, भारत पैट्रोलियम आदि को विक्रय किये जाते है। उपरोक्त सरकारी उपक्रम व्यवहारी को माल के क्रय हेतु प्रोविजनल मूल्य पर आदेश देते है परन्तु माल का अन्तिम मूल्य सरकारी स्तर पर बाद में तय किया जाता है कि प्रति सिलेण्डर क्या भुगतान किया जावेगा। प्रत्यर्थी उन क्रय आदेश की पालना में क्रेता को माल देता है एवं अन्तरिम मूल्य पर कर स्वयं द्वारा जमा करा दिया जाता है। आलोच्य अवधि में प्रत्यर्थी द्वारा उपरोक्त भारत सरकार की कंपनियों को जो माल विक्रय किया गया है उसमें निश्चित अवधि के पश्चात उक्त कंपनियों द्वारा जो अन्तिम मूल्य तय किया गया है उस

लगातार.....2

अनुसार कर को भुगतान योग्य बताते हुये टर्न ओवर बताया गया जो प्रोविजनल मूल्य से कम था अतः प्रत्यर्थी द्वारा अधिक जमा राशि का प्रत्यार्पण राशि रुपये 7,52,738/– चाहा गया परन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने पूरे प्रोविजनल कर का आरोपण कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी की अपील को स्वीकार करते हुये आरोपित मांग राशि को अपास्त किया एवं प्रत्यार्पण देने का आदेश दिया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3 उभयपक्षीय बहस सुनी गई व रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया गया।

4. अपीलार्थी के विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलीय अधिकारी का आदेश अविधिक होने के कारण अपास्तनीय है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

5. प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी द्वारा जो माल निर्मित कर भारत सरकार के उपक्रमों को विक्रय किया है उसके संबंध में प्रत्यर्थी ने जब जब माल सप्लाई किया तो प्रोविजनल रुप से जो बिल जारी किये गये थे उसके अनुरुप कर को जमा करा दिया गया था। प्रत्यर्थी द्वारा जो माल जाता है वह प्रोविजनल प्राइज के आधार पर बेचा जाता है उसी पर कर जमा कराया जाता है। बाद में एक निश्चित फार्मूला सरकार द्वारा तय किया जाता है एवं जो भी अंतिम मूल्य सूचित किया जाता है वह भारत सरकार के पैट्रोलियम व नेचूरल गैस मंत्रालय द्वारा अनुमोदित होता है। प्रत्यर्थी द्वारा यह प्रक्रिया पूर्व के कई वर्षो में भी अपनाई गई है एवं पूर्व के वर्षो में प्रत्यर्थी द्वारा प्रोविजनल रुप से जो राशि जमा करायी एवं उसके पश्चात जब अंतिम मूल्य राशि बढ़ी तो प्रत्यर्थी ने बढ़ी हुई राशि पर कर जमा कराया परन्तु आलौच्य वर्ष ही ऐसा वर्ष था जिसमें प्रत्यर्थी द्वारा जो प्रोविजनल बिल जारी किये गये उसमें कटौती की गई एवं जो क्रय मूल्य अनुमोदित किये गये वे प्रत्यर्थी द्वारा प्रोविजनल बिलों की रशि से कम थे। इस प्रकार विक्रय मूल्यों में कमी होने से प्रत्यर्थी द्वारा जो कर अपने पास से जमा कराया गया था वह अधिक जमा हुआ एवं उसी की पूर्ण वापसी की मांग जब कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष की तब उन्होनें तथ्यों पर बिना पूर्णतया गौर किये अविधिक रुप से प्रत्यर्थी द्वारा की गई प्रत्यापर्ण की मांग को ठुकरा दिया एवं प्रोविजनल राशि पर कर आरोपण किया। उक्त आरोपण विधि अनुकूल नहीं होने से अपीलीय अधिकारी ने उचित रुप से अपील स्वीकार की एवं प्रत्यर्थी द्वारा प्रोविजनल बिलों के पेटे रुपये 7,52,738/– की अधिक कर राशि अपने पास से जमा कराई गई थी उसे पुनः प्राप्त करने का प्रत्यर्थी हकदार है।

लगातार.....3

उपरोक्त बिन्दु पर विद्वान अभिभाषक की बहस सुनने व रेकार्ड देखने से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्यर्थी के समक्ष संव्यवहार भारत सरकार की कंपनियों के साथ है एवं भारत सरकार की कंपनियों द्वारा प्रत्यर्थी को दिये गये क्रयादेशों के संबंध में जो पत्र दिये गये है उनमें कटौती की गई है उनका विवरण निम्नानुसार है :—

हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0 का पत्र संख्या	LPG- MKTG/BVR/GM 01-11-00
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लि0 का पत्र संख्या	LPG- SD/BSN 15-11-2000
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लि0 का पत्र संख्या	LPG- O/M .2 31-10-2000
भारत पैट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0 का पत्र संख्या	LPG- E.Q.6 21-11-2000
भारत पैट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0 का पत्र संख्या	LPG- E.Q.6 31-10-2000
भारत पैट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0 का पत्र संख्या	LPG- E.Q.11 13-04-2000
भारत पैट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0 का पत्र संख्या	LPG-E.Q. POLICY CON 7-04-00
भारत पैट्रोलियम कॉरपोरेशन लि0 का पत्र संख्या	LPG-EQPT/9/2086 01-05-1999

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा करारोपण करते हुये प्रतिदाय की मांग को निरस्त करने का यह आधार लिया है :—

"उक्त अवधि में रुपये 1,68,15,500/— की बिक्री व्यवसायी द्वारा जो भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन एवं मैसर्स इंडियन आयल कारपोरेशन को की गई थी, उसे उक्त तीनों कंपनियों को की गई थी, उसे उक्त तीनों कंपनियों के द्वारा पूर्व में निर्धारित दरों को बिक्री होने के बाद कम किया जाकर कम भुगतान प्राप्त होने के कारण कम किया जाना दर्शाया गया है। जो अनियमित होने के कारण अस्वीकार किया जाकर रुपये 15265873/— की बिक्री 4 प्रतिशत अन्तर्राज्यीय बिक्री में यथा रुपये 15,49,627/— की बिक्री राज्य में की गई 12 प्रतिशत करयोग्य बिक्री में जोडी जाकर निर्धारित की जाती है, क्योंकि बिक्री होने तथा उस पर कर वसूल किया जाकर जमा कराने के उपरान्त क्रेता द्वारा कम भुगतान किये जाने पर बिक्री को कम किये जाने का अधिकारी विक्रेता को नहीं है, क्योंकि वह उसका स्वयं का नुकसान है जो विक्रेता के लाभ हानि खातों को प्रभावित करता है, जो कि बिक्री प्रमाणित नहीं करता है।"

उपरोक्त सभी पत्रों को देखने एवं रेकार्ड देखने से स्पष्ट होता है कि अपीलांट द्वारा जो सिलेण्डर बेचे गये है वे सरकारी कम्पनी को बेचे गये है एवं जो वास्तविक प्रतिफल अपीलांट को प्राप्त हुआ है उसी पर करारोपण किया जा सकता है, जो अधिनियम की धारा 2एच में स्पष्ट है। अधिनियम की धारा 2एच में निम्न व्यवस्था है :—

"Sale Price" means the amount paid or payable to a dealer as consideration for the sale less any sum allowed by way of any kind of discount/or rebate according to the practice normally prevailing in the trade, but inclusive of any sum charged for anything done by the dealer in

लगातार.....4

respect of the goods at the time of or before the delivery of the cost of installation in cases where such cost is separately charged.

यह उल्लेखनीय है कि करारोपण प्राप्त प्रतिफल की राशि पर ही किया जा सकता है। अपीलीय अधिकारी ने कारणों सहित निर्णय पारित किया है। अतः अपीलीय आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होने से राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने योग्य पायी जाती है।

6. परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष